Press Release
20.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 12.02.2024 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायालय, पटना के समक्ष विदियो राय और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। . माननीय न्यायालय ने 12.02.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने बिहार के कई जिलों में शराब के अवैध कारोबार में शामिल होने के लिए विदियो राय और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत ईओयू, बिहार द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह आरोप लगाया गया था कि विदियो राय और पिंटू कुमार शराब के अवैध कारोबार, आपराधिक साजिश, चोरी की संपत्ति को छुपाने/बेचने, धोखाधड़ी और जालसाजी, हथियारों का उपयोग करने/रखने में शामिल हैं।

ईडी की जांच से पता चला है कि विदियो राय और उनके परिवार के सदस्यों ने अपराध की आय से 3.51 करोड़ (लगभग) रुपए की कमाई की है और इसका उपयोग अपने नाम पर और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर कई अचल संपत्तियों को हासिल करने के लिए किया गया था जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक हैं।

इससे पहले, ईडी ने दिनांक 02.09.2022 को अनंतिम कुर्की आदेश जारी करके विदियो राय और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत, बिहार के समस्तीपुर जिले में स्थित आठ (08) अचल संपत्तियां जब्त की थी, जिनकी कीमत 3.51 करोड़ रुपए है। जिसकी पुष्टि माननीय न्यान निर्णयन प्राधिकारी ने दिनांक 14.02.2023 के आदेश द्वारा की है।

आगे की जांच जारी है.